भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1482
उत्तर देने की तारीख: 01.07.2019

कॉलेजों में प्रधानाचार्य

†1482. श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगरेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में यूजीसी से वित्तीय अनुदान प्राप्त करने वाले अधिकांश महाविद्यालय बिना स्थायी प्रधानाचार्य के चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सभी कॉलेजों में पूर्णकालिक प्रधानाचार्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): जैसाकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति सम्बंधित राज्य सरकार के दायरे में आती है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई सूची नहीं बनाई जाती है।

तथापि, यूजीसी दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बीएचयू से सम्बद्ध कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम	कॉलेजों की संख्या	कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पद
दिल्ली	64	21
बीएचयू	4	-
इलाहाबाद	11	3

यूजीसी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को नियमित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए निर्देश / परामर्श जारी किए गए हैं।

इस संबंध में, यूजीसी ने अपने अ० शा० पत्र संख्या F.1-14 / 2019 (CPP-II) दिनांक 04.06.2019 द्वारा विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सम विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की भर्ती के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिनके द्वारा भर्ती की चयन प्रक्रिया और समय की रूपरेखा तैयार की गयी है। ये दिशानिर्देश सभी विश्वविद्यालयों को पालन हेतु भेजे गए हैं। विश्वविद्यालयों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित दिशानिर्देशों की एक प्रति https://www.ugc.ac.in/ugc_notices.aspx?d=18 पर उपलब्ध है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No.1482
TO BE ANSWERED ON 01.07.2019

Principal in Colleges

1482.SHRI SUDHAKARTUKARAMSHRANGARE:

Will the Minister of HUMANRESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a large number of Colleges in the country getting financial grants from UGC, are running without a permanent Principal;

(b) if so, the details thereof, State-wise; and

(c) the steps taken/being taken by the Government to ensure full time principal in all the colleges in the country?

ANSWER

MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a) to (c): As informed by the University Grants Commission (UGC), the appointment of Principals in State Universities comes under the purview of the respect State Governments. No such data is maintained by the Central Government.

However, UGC provides financial assistance to the colleges affiliated by Delhi University , Allahabad University and BHU. The status of Principals in these Colleges is as under:

Name of the Central University	Number of Colleges	Vacant position of Principals in Colleges
Delhi	64	21
BHU	4	-
Allahabad	11	3

Instructions/advisories are issued by the UGC to Delhi University for appointment of regular Principals. In this regard, UGC vide its DO Letter No. F.1-14/2019(CPP-II) dated 04.06.2019 has prepared the guidelines for Recruitment of Faculty in Universities, Colleges and Institutions Deemed to be Universities outlining the selection procedure and the time frame for recruitment. These guidelines have been circulated to all Universities to adhere to them. The universities have also been requested to take steps to ensure

that the vacancies in the university as well as in the colleges affiliated to university are filled up in a time bound manner. A copy of the guidelines circulated to all universities is available https://www.ugc.ac.in/ugc_notices.aspx?d-=2418

****